

158

विविध - १०१७ - ५ - १७

## समक्ष माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

1. मोहित कुमार पिता स्व. श्री उमाकांत सोनी  
निवासी बमीठा तह. राजनगर  
जिला छतरपुर
2. सीताराम शर्मा पिता विन्द्रावन शर्मा  
निवासी दवगांव तह. राजनगर जिला छतरपुर

श्री. डी.के. पासी (एड.)  
द्वारा आज दि. 16-01-17 को  
प्रस्तुत

वकील ऑफ़ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर  
.....आवेदकगण

// विरुद्ध //

म.प्र.शासन

.....अनावेदक

निग.4015-I/16

आदेश दिनांक 30.11.16

### आवेदक पत्र अंतर्गत धारा 152 व्य.प्रक्रिया संहिता

आवेदक की ओर से प्रार्थना निम्नानुसार है :-

1. यह कि, उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक 30.11.16 को आदेश पारित करते हुए निगरानी स्वीकार की गई है।
2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निम्नलिखित त्रुटि भूलवश की गई है जिसका सुधार किया जाना है:-

1. यह कि, न्यायालय तहसीलदार राजनगर लिखा है जबकि सही न्यायालय नायब तहसीलदार बसारी तह. राजनगर है।
2. यह कि, पैरा 2 में विक्रयपत्र दिनांक 11.09.2015 लेख है जबकि सही विक्रयपत्र दिनांक 31.05.2015 है।
3. यह कि, आदेश के पैरा 3 में रकवा 0.907 है पर विक्रेता का नाम दर्ज किया जाना लेख किया है। किंतु सही रकवा 0.907 में से 0.809 हे० पर विक्रेता का नाम दर्ज किया जाना है।

अतः प्रार्थना है कि प्रस्तुत आवेदन स्वीकार करते हुए पारित आदेश

दि० 30.11.16 में उपरोक्तानुसार सुधार किए जाने की कृपा की जावे।

ग्वालियर  
दिनांक :- 16-01-17

.....हेतु आवेदकगण


## राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-----

विविध प्रकरण क्रमांक 9017-एक/2017

जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्त
16-1-17	<p>राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 4015-एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 में हुई टैकण त्रुटि के सुधार हेतु यह विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>2/ प्रकरण क्रमांक 4015-एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि आदेश में निम्नानुसार सँशोधन करना आवश्यक है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आदेश दिनांक 30-11-16 के प्रथम पद में तहसीलदार राजनगर टैकण त्रुटि से लिखा गया है अतः तहसीलदार राजनगर के स्थान पर तहसीलदार बसारी पढ़ा जावे।</li> <li>2. आदेश दिनांक 30-11-16 के दूसरे पैरा में विक्रय पत्र दिनांक 11-9-2015 भूलवश टैकित हुआ है अतः विक्रय पत्र दिनांक 11-9-2015 के स्थान पर विक्रय पत्र दिनांक 31-5-2015 पढ़ा जावे।</li> <li>3. आदेश दिनांक 30-11-16 के तीसरे पैरा में रकबा 0.907 हैक्टर पर विक्रेता का नाम दर्ज करना त्रुटिवश टैकित हुआ है अतः सही रकबा 0.907 है. में से 0.809 हैक्टर पर विक्रेता का नाम दर्ज किया जाना पढ़ा जावे।</li> </ol> <p>प्रकरण क्रमांक 4015-एक/2016 में पारित आदेश दिनांक 30-11-2016 में उक्तानुसार सँशोधन किया जाकर यह प्रकरण इसी-स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p>	

  
सदस्य

